Machine Translated by Google

भारत सरकार

बजट 2025-2026

भाषण

का

NIRMALA SITHARAMAN

वित्त मंत्री

1 फरवरी, 2025

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

अंतर्वस्तु

भाग – ए

	पृष्ठ सं.
परिचय	1
बजट थीम	1
कृषि प्रथम इंजन के रूप में	3
एमएसएमई दूसरे इंजन के रूप में	6
तीसरे इंजन के रूप में निवेश	8
A. लोगों में निवेश	8
बी. अर्थव्यवस्था में निवेश	10
सी. नवाचार में निवेश	14
चौथे इंजन के रूप में निर्यात	15
ईंधन के रूप में सुधार	16
राजकोषीय नीति	18

भाग – बी

अप्रत्यक्ष कर	20
प्रत्यक्ष कर	23
भाग-ए का अनुलग्नक	29
भाग-बी का अनुलग्नक	31

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

बजट 2025-2026

का भाषण
Nirmala Sitharaman
वित्त मंत्री

1 फरवरी, 2025

माननीय अध्यक्ष जी,

मैं 2025-26 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

परिचय

1. यह बजट हमारी सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को जारी रखता है:

क) विकास में तेजी लाना,

ख) समावेशी विकास सुनिश्चित करना,

ग) निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना,

घ) घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाना, और

ई) भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय शक्ति को बढ़ाना।

2. हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अधिक समृद्धि और वैश्विक स्थिति के लिए अपने देश की जबरदस्त क्षमता को उजागर करने की यात्रा पर चल पड़े हैं।

3. 21वीं सदी की पहली तिमाही पूरी होने के साथ ही , भू-राजनीतिक प्रतिकूलताएं मध्यम अवधि में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में कमी का संकेत दे रही हैं। हालांकि, विकसित भारत के लिए हमारी आकांक्षा हमें प्रेरित करती है, और हमारी सरकार के पहले दो कार्यकालों के दौरान हमने जो परिवर्तनकारी कार्य किए हैं, वे हमें दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

बजट थीम

4. हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है।
पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास केवल बढ़ा है।

Machine Translated by Google

इस अवधि में वृद्धि हुई है। हम अगले पांच वर्षों को 'सबका विकास' को साकार करने के लिए एक अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

5. महान तेलुगु कवि और नाटककार गुरजादा अप्पा राव ने कहा था, 'देसमांते मट्टी कादोई, देसामांते मानुशुलोई'; जिसका अर्थ है, 'एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं है, एक देश उसके लोग हैं।' इसी के अनुरूप, हमारे लिए, विकसित भारत,

इसमें शामिल हैं:

क) शून्य गरीबी;

ख) शत-प्रतिशत अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा;

ग) उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच;

घ) सार्थक रोजगार के साथ शत-प्रतिशत कुशल श्रमिक;

(ई) आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं; तथा

च) किसान हमारे देश को 'विश्व की खाद्य टोकरी' बना रहे हैं।

6. इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केन्द्रित दस व्यापक क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित हैं।

1) कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देना;

2) ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण;

3) समावेशी विकास पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलना;

4) विनिर्माण को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना;

5) एमएसएमई को समर्थन देना;

6) रोजगार आधारित विकास को सक्षम बनाना;

7) लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश;

8) ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करना;

9) निर्यात को बढ़ावा देना; और

10) नवाचार को बढ़ावा देना.

7. विकास की इस यात्रा के लिए,

a) हमारे चार शक्तिशाली इंजन हैं: कृषि, एमएसएमई, निवेश, और निर्यात

ख) ईंधन: हमारे सुधार

ग) हमारी मार्गदर्शक भावना: समावेशिता

d) And the destination: Viksit Bharat

Machine Translated by Google

8. इस बजट का उद्देश्य छह क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है।
अगले पांच वर्षों के दौरान, ये हमारी विकास क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएंगे। डोमेन हैं:

1) कराधान;

2) विद्युत क्षेत्र;

3) शहरी विकास;

4) खनन;

5) वित्तीय क्षेत्र; और

6) नियामक सुधार।

कृषि प्रथम इंजन के रूप में

9. अब मैं विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ता हूँ, जिसकी शुरुआत 'कृषि को प्रथम प्राथमिकता ' से होती है।
इंजन'।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना - कृषि जिलों का विकास
program'

10. आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर, हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू करेगी । मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से, यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इसका उद्देश्य (1) कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, (2) फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, (3) पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाना, (4) सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और (5) दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण

11. राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके कृषि में कम रोजगार की समस्या को दूर करेगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो, लेकिन अनिवार्यता न हो।

12. कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों तथा भूमिहीन परिवारों पर केंद्रित होगा। विस्तृत जानकारी अनुलग्नक 'ए' में दी गई है।

Machine Translated by Google

13. वैश्विक और घरेलू सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा और बहुपक्षीय विकास बैंकों से उचित तकनीकी और वित्तीय सहायता मांगी जाएगी। चरण-1 में, 100 विकासशील कृषि-जिलों को शामिल किया जाएगा।

दालों में आत्मनिर्भरता

14. हमारी सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन लागू कर रही है। हमारे किसानों में हमारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त मात्रा में और उससे भी ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता है।

15. दस साल पहले, हमने ठोस प्रयास किए और दालों में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल करने में सफल रहे। किसानों ने खेती के रकबे में 50 प्रतिशत की वृद्धि करके जरूरत को पूरा किया और सरकार ने खरीद और लाभकारी कीमतों की व्यवस्था की। तब से, बढ़ती आय और बेहतर सामर्थ्य के साथ, दालों की हमारी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

16. हमारी सरकार अब तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय "दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन" शुरू करेगी। विस्तृत जानकारी अनुलग्नक बी में दी गई है। केंद्रीय एजेंसियाँ (नेफेड और एनसीसीएफ) इन 3 दालों की खरीद के लिए तैयार रहेंगी, जो अगले 4 वर्षों के दौरान उन किसानों से खरीद की पेशकश की जाएगी जो इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण करते हैं और समझौते करते हैं।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

17. यह उत्साहजनक है कि हमारे लोग अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के प्रति तेजी से जागरूक हो रहे हैं। यह समाज के स्वस्थ होने का संकेत है। आय के बढ़ते स्तर के साथ, सब्जियों, फलों और श्री-अन्न की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों के कार्यान्वयन और भागीदारी के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाएंगे।

Makhana Board in Bihar

18. इसके लिए बिहार के लोगों के लिए एक विशेष अवसर है। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।

Machine Translated by Google

उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन

19. उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य (1) अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, (2) उच्च उपज, कीट प्रतिरोध और जलवायु लचीलेपन वाले बीजों का लक्षित विकास और प्रसार, और (3) जुलाई 2024 से जारी 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता है।

मत्स्य पालन

20. मछली उत्पादन और जलीय कृषि में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।
समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60 हजार करोड़ रुपये है। समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता को खोलने के लिए, हमारी सरकार भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी, जिसमें अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कपास उत्पादकता मिशन

21. लाखों कपास उत्पादक किसानों के लाभ के लिए, मुझे 'कपास उत्पादकता के लिए मिशन' की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह 5-वर्षीय मिशन कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा, और अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की किस्मों को बढ़ावा देगा। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम समर्थन प्रदान किया जाएगा। कपड़ा क्षेत्र के लिए हमारे एकीकृत 5F विजन के साथ संरेखित, यह किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा, और भारत के पारंपरिक कपड़ा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए गुणवत्ता वाले कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

केसीसी के माध्यम से उन्नत ऋण

22. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत लिए गए ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी।

केसीसी के माध्यम से।

असम में यूरिया संयंत्र

23. यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में तीन निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोल दिया है। यूरिया आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक

24. 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय डाक को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा। विस्तृत जानकारी यहाँ उपलब्ध है
अनुलग्नक सी.

Machine Translated by Google

25. भारतीय डाक को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में भी रूपांतरित किया जाएगा। इससे विश्वकर्मा, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, एमएसएमई और बड़े व्यापारिक संगठनों की बढ़ती ज़रूरतें पूरी होंगी।

एनसीडीसी को समर्थन

26. हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण देने के कार्यों हेतु एनसीडीसी को सहायता प्रदान करेगी।

एमएसएमई दूसरे इंजन के रूप में

27. अब मैं दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई की ओर आता हूं, जिसमें विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं तथा 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन

28. वर्तमान में, 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई, 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हमारे विनिर्माण का 36 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक साथ आए हैं। अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ, ये एमएसएमई हमारे निर्यात के 45 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें पैमाने की उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच हासिल करने में मदद करने के लिए, सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा। विवरण अनुलग्नक डी में हैं।

गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि

29. ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए, ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा:

क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा ;

(ख) स्टार्टअप्स के लिए, 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया जाएगा, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत किया जाएगा; तथा

ग) अच्छी तरह से संचालित निर्यातक एमएसएमई के लिए, 20 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण के लिए ।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

30. हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेंगे।
उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सभी उद्यमों को एक साथ लाया जाएगा। पहले वर्ष में 10 लाख ऐसे कार्ड जारी किए जाएंगे।

Machine Translated by Google

स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स

31. स्टार्टअप्स के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इन्हें 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी योगदान से स्थापित फंड ऑफ फंड्स द्वारा सहायता प्रदान की जाती है । अब, विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपये के नए योगदान के साथ एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा।

पहली बार उद्यम करने वालों के लिए योजना

32. पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा । इस योजना में सफल स्टैंड-अप इंडिया योजना से सीख ली जाएगी। उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण का भी आयोजन किया जाएगा।

श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए उपाय

33. श्रम प्रधान क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार विशिष्ट नीति और कार्यक्रम लागू करेगी।

सुविधा के उपाय.

फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना

34. भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक फोकस उत्पाद योजना लागू की जाएगी। यह योजना चमड़े के फुटवियर और उत्पादों के लिए समर्थन के अलावा गैर-चमड़े की गुणवत्ता वाले फुटवियर के उत्पादन के लिए आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनरी का समर्थन करेगी। इस योजना से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने, 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है।

खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय

35. खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के आधार पर हम भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक योजना लागू करेंगे। यह योजना क्लस्टरों, कौशल और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी जो उच्च गुणवत्ता वाले, अद्वितीय, अभिनव और टिकाऊ खिलौने बनाएगी जो 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए समर्थन

36. 'पूर्वोदय' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेंगे। यह संस्थान बिहार में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगा।

Machine Translated by Google

संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र। इसके परिणामस्वरूप (1) किसानों की उपज के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होगी, और (2) युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

विनिर्माण मिशन - "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाना

37. हमारी सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत समर्थन, कार्यान्वयन रोडमैप, शासन और निगरानी ढांचा प्रदान करके "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्थापित करेगी। विवरण अनुलग्नक ई में हैं।

स्वच्छ तकनीक विनिर्माण

38. जलवायु अनुकूल विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए, मिशन स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को भी समर्थन देगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार करना और सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर और नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइज़र, पवन टर्बाइन, बहुत उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा।

तीसरे इंजन के रूप में निवेश

39. अब मैं तीसरे इंजन के रूप में निवेश की ओर आता हूँ, जिसमें लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश शामिल है।

एक। लोगों में निवेश

Saksham Anganwadi and Poshan 2.0

40. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान करता है। पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

अटल टिंकरिंग लैब्स

41. युवाओं में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने तथा उनमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में पचास हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी।

सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

42. भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

Machine Translated by Google

Bharatiya Bhasha Pustak Scheme

43. हम स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू करने का प्रस्ताव करते हैं।
इसका उद्देश्य छात्रों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है।

कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र

44. जुलाई 2024 के बजट में घोषित पहल के आधार पर, वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि हमारे युवाओं को "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके। साझेदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन ढांचा और आवधिक शामिल होंगे।

समीक्षाएँ.

आईआईटी में क्षमता का विस्तार

45. पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 100 प्रतिशत बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। 2014 के बाद शुरू किए गए 5 आईआईटी में 6,500 और छात्रों को शिक्षा की सुविधा देने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। आईआईटी, पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा।

शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र

46. मैंने 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तीन उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी। अब शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्थापित किया जाएगा।

करोड़।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

47. हमारी सरकार ने लगभग 1.1 लाख यूजी और पीजी मेडिकल कॉलेज जोड़े हैं

अगले दस वर्षों में शिक्षा सीटों में 130 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगले वर्ष, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है।

सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर

48. हमारी सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

2025-26.

Machine Translated by Google

शहरी आजीविका को मजबूत बनाना

49. हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर वर्गों की सहायता को प्राथमिकता दे रही है। शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना लागू की जाएगी ताकि उनकी आय में सुधार हो, उन्हें स्थायी आजीविका मिले और उनका जीवन स्तर बेहतर हो।

पीएम स्वनिधि

50. पीएम स्वनिधि योजना से 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है
उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र के उच्च ब्याज वाले ऋणों से राहत मिलेगी। इस सफलता के आधार पर, इस योजना को बैंकों से बढ़े हुए ऋण, 30,000 रुपये की सीमा वाले यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ नया रूप दिया जाएगा ।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

51. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर नए जमाने की सेवा अर्थव्यवस्था को बहुत गतिशीलता प्रदान करते हैं। उनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमारी सरकार उनके पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ गिग-वर्कर्स को सहायता मिलने की संभावना है।

बी। अर्थव्यवस्था में निवेश

बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी

52. प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मंत्रालय 3 साल की परियोजनाओं की पाइपलाइन लेकर आएगा, जिन्हें पीपीपी मोड में लागू किया जा सकता है। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे पीपीपी प्रस्ताव तैयार करने के लिए IIPDF (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड) योजना से सहायता मांग सकते हैं।

बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को सहायता

53. पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30

54. 2021 में घोषित पहली परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना की सफलता के आधार पर, 2025-30 के लिए दूसरी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाएगी । योजना को समर्थन देने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों को दुरुस्त किया जाएगा।

जल जीवन मिशन

55. 2019 से, भारत की ग्रामीण आबादी के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ परिवारों को पीने योग्य नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

Machine Translated by Google

100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, मुझे कुल व्यय में वृद्धि के साथ मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

56. मिशन का फोकस "जन भागीदारी" के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और संचालन एवं रख-रखाव पर होगा। स्थिरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

शहरी क्षेत्र में सुधार

57. जुलाई के बजट प्रस्तावों के आधार पर, शासन, नगरपालिका सेवाओं, शहरी भूमि और नियोजन से संबंधित शहरी क्षेत्र के सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

शहरी चुनौती निधि

58. सरकार जुलाई बजट में घोषित 'विकास केन्द्र के रूप में शहर', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' तथा 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी ।

59. यह निधि बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषित करेगी, इस शर्त के साथ कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और पीपीपी से वित्तपोषित किया जाएगा। 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

60. हम राज्यों द्वारा बिजली वितरण सुधारों और अंतर-राज्यीय पारेषण क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे। इससे बिजली कंपनियों की वित्तीय सेहत और क्षमता में सुधार होगा। इन सुधारों के आधार पर राज्यों को जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।

Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat

61. 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा संक्रमण प्रयासों के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।

62. 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाएगी। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर चालू हो जाएंगे।

Machine Translated by Google

जहाज निर्माण

63. लागत संबंधी नुकसानों को दूर करने के लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति में सुधार किया जाएगा। इसमें भारतीय यार्डों में जहाज तोड़ने के लिए क्रेडिट नोट्स भी शामिल किए जाएंगे, ताकि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके।

64. एक निर्दिष्ट आकार से बड़े बड़े जहाजों को अवसंरचना सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।

65. जहाजों की रेंज, श्रेणियों और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिपबिल्डिंग क्लस्टर्स को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा सुविधाएं, कौशल और प्रौद्योगिकी शामिल होगी।

समुद्री विकास निधि

66. समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपये की राशि वाला समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा। यह वितरित समर्थन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए होगा। इसमें सरकार का 49 प्रतिशत तक योगदान होगा और शेष राशि बंदरगाहों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी।

उड़ान - क्षेत्रीय संपर्क योजना

67. उड़ान ने 1.5 करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों को तेज़ यात्रा की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है। इस योजना ने 88 हवाई अड्डों को जोड़ा है और 619 मार्गों को चालू किया है। उस सफलता से प्रेरित होकर, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी।

बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

68. बिहार की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के अतिरिक्त होंगे।

मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना

69. पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा।

Machine Translated by Google

खनन क्षेत्र में सुधार

70. लघु खनिजों सहित खनन क्षेत्र में सुधारों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और राज्य खनन प्राधिकरण की स्थापना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

अनुक्रमणिका।

71. अपशिष्टों से महत्वपूर्ण खनिजों की वसूली के लिए एक नीति लाई जाएगी।

स्वामी फंड 2

72. किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (SWAMIH) के तहत संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में पचास हज़ार आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है, और घर खरीदारों को चाबियाँ सौंपी गई हैं। 2025 में अन्य चालीस हज़ार इकाइयों का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को और मदद मिलेगी जो अपार्टमेंट के लिए लिए गए ऋण पर ईएमआई का भुगतान कर रहे थे, साथ ही अपने मौजूदा आवासों का किराया भी दे रहे थे।

73. इस सफलता के आधार पर, सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान से एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में SWAMIH फंड 2 की स्थापना की जाएगी। 15,000 करोड़ रुपये के इस फंड का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना होगा।

निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति डेटा

74. पीपीपी को आगे बढ़ाने और परियोजना नियोजन में निजी क्षेत्र की सहायता के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल से प्रासंगिक डेटा और मानचित्रों तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन

75. देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में चुनौती मोड के माध्यम से विकसित किया जाएगा। प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि राज्यों को उपलब्ध करानी होगी। उन स्थलों पर होटल

बुनियादी ढांचे एचएमएल में शामिल किया जाएगा।

76. रोजगार आधारित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:

1) आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना;

2) होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना;

3) पर्यटन स्थलों तक यात्रा और संपर्क को आसान बनाना;

Machine Translated by Google

4) पर्यटक सुविधाओं, स्वच्छता और विपणन प्रयासों सहित प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शन-संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करना; तथा

5) कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीज़ा शुल्क में छूट के साथ-साथ सुव्यवस्थित ई-वीज़ा सुविधाएं शुरू करना।

77. जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के स्थानों पर जोर जारी रखते हुए, भगवान बुद्ध के जीवन और काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य

78. मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया को साझेदारी में बढ़ावा दिया जाएगा।
निजी क्षेत्र के साथ-साथ क्षमता निर्माण और आसान वीज़ा मानदंडों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सी। नवप्रवर्तन में निवेश

अनुसंधान, विकास और नवाचार

79. जुलाई बजट में घोषित निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को क्रियान्वित करने के लिए, मैं अब 20,000 करोड़ रुपये आवंटित कर रहा हूँ।

डीप टेक फंड ऑफ फंड्स

80. इस पहल के एक भाग के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रेरित करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की भी संभावना तलाशी जाएगी।

पीएम रिसर्च फेलोशिप

81. अगले पांच वर्षों में, पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत, हम बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए दस हजार फेलोशिप प्रदान करेंगे।

फसलों के जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक

82. भविष्य की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। इससे सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में सहायता मिलेगी ।

राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन

83. हम आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू करेंगे। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए, यह मिशन भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन की सुविधा प्रदान करेगा।

Machine Translated by Google

ज्ञान भारतम मिशन

84. शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पाण्डुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए एक ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पाण्डुलिपियों को शामिल किया जाएगा।
हम ज्ञान साझा करने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार स्थापित करेंगे।

85. अब मैं चौथे इंजन के रूप में निर्यात की ओर बढ़ता हूँ।

चौथे इंजन के रूप में निर्यात

निर्यात संवर्धन मिशन

86. हम वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना करेंगे। यह निर्यात ऋण, सीमा पार फैक्टरिंग सहायता और एमएसएमई को विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने के लिए सहायता तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

BharatTradeNet

87. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 'भारत ट्रेडनेट' (बीटीएन) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। यह यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का पूरक होगा। बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए समर्थन

88. हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।

89. वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग की भागीदारी वाले सुविधा समूह
चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए प्रतिनिधि गठित किए जाएंगे।

90. इसके माध्यम से उद्योग 4.0 से संबंधित अपार अवसर उपलब्ध हैं, जिसके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता है। हमारे युवाओं में दोनों ही गुण हैं। हमारी सरकार युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग का समर्थन करेगी।

जी.सी.सी. के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा

91. उभरते टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन के रूप में एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा।

Machine Translated by Google

प्रतिभा और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय, भवन-नियमों में सुधार, और उद्योग के साथ सहयोग के लिए तंत्र।

हवाई माल के लिए भंडारण सुविधा

92. हमारी सरकार उच्च मूल्य वाले शीघ्र नष्ट होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और गोदाम के उन्नयन की सुविधा प्रदान करेगी।
कार्गो स्क्रीनिंग और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जाएगा।

ईंधन के रूप में सुधार

93. अब मैं 'ईंधन के रूप में सुधार' की ओर बढ़ता हूं, तथा विशिष्ट सुधारों का विवरण देता हूं।

कर सुधार

94. पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जैसे (1) फेसलेस असेसमेंट, (2) टैक्स पेयर्स चार्टर, (3) तेज़ रिटर्न, (4) लगभग 99 प्रतिशत रिटर्न स्व-मूल्यांकन पर होना, और (5) विवाद से विश्वास योजना। इन प्रयासों को जारी रखते हुए,

मैं कर विभाग की इस प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता हूं कि "पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो"।
मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक भी पेश करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं भाग बी में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में बदलावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास

बीमा क्षेत्र में एफडीआई

95. बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का विस्तार

96. ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का विस्तार एवं विस्तार किया जाएगा।

NaBFID द्वारा ऋण संवर्धन सुविधा

97. NaBFID कॉर्पोरेट के लिए 'आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा' स्थापित करेगा
बुनियादी ढांचे के लिए बांड।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

98. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' ढांचा विकसित करेंगे
स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना।

Machine Translated by Google

पेंशन क्षेत्र

99. पेंशन उत्पादों के विनियामक समन्वय और विकास के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा।

केवाईसी सरलीकरण

100. केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने की पूर्व घोषणा को लागू करने के लिए, संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री 2025 में शुरू की जाएगी। हम समय-समय पर अद्यतन करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली भी लागू करेंगे।

कंपनियों का विलय

101. कंपनी विलय के लिए शीघ्र अनुमोदन की आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। फास्ट-ट्रैक विलय के लिए दायरा भी बढ़ाया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

द्विपक्षीय निवेश संधियाँ

102. जैसा कि अंतरिम बजट में प्रस्तावित है, हमने 2024 में दो देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए हैं। निरंतर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और 'पहले भारत का विकास करें' की भावना में, वर्तमान मॉडल बीआईटी को नया रूप दिया जाएगा और इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया जाएगा।

विनियामक सुधार

103. पिछले दस वर्षों में वित्तीय और गैर-वित्तीय सहित कई पहलुओं में हमारी सरकार ने 'कारोबार में आसानी' के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि हमारे नियम तकनीकी नवाचारों और वैश्विक नीति विकास के साथ बने रहें। सिद्धांतों और विश्वास पर आधारित एक हल्का-फुल्का नियामक ढांचा उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देगा। इस ढांचे के माध्यम से, हम पुराने कानूनों के तहत बनाए गए नियमों को अपडेट करेंगे। इस आधुनिक, लचीले,

इक्कीसवीं सदी के लिए उपयुक्त जन-हितैषी और विश्वास-आधारित विनियामक ढाँचे के लिए, मैं चार विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:

विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति

104. सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र के विनियमनों, प्रमाणनों, लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा के लिए विनियामक सुधारों के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति से अपेक्षा की जाएगी कि वह समय-सीमा के भीतर सिफारिशें करे।

Machine Translated by Google

इसका उद्देश्य विश्वास आधारित आर्थिक प्रशासन को मजबूत करना और 'कारोबार में आसानी' को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी उपाय करना है, खासकर निरीक्षण और अनुपालन के मामलों में। राज्यों को इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्यों का निवेश अनुकूलता सूचकांक

105. राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक 2025 में लॉन्च किया जाएगा

प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाना।

एफएसडीसी तंत्र

106. वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमों एवं सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह उनकी प्रतिक्रियाशीलता बढ़ाने तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपरेखा भी तैयार करेगा।

Jan Vishwas Bill 2.0

107. जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया। हमारी सरकार अब विभिन्न कानूनों के 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी।

राजकोषीय नीति

108. अब मैं राजकोषीय नीति मामलों पर आता हूं।

राजकोषीय समेकन

109. जुलाई के बजट में मैंने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध रहने की बात कही थी। हमारा प्रयास प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को इस तरह बनाए रखना होगा कि केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कम होता रहे। एफआरबीएम में अगले 6 वर्षों के लिए रोडमैप का विस्तृत विवरण दिया गया है।

कथन।

संशोधित अनुमान 2024-25

110. उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपये है , जिसमें से शुद्ध कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये हैं । कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ रुपये है , जिसमें से शुद्ध कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये हैं।

पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ रुपये है।

111. राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत है।

Machine Translated by Google

बजट अनुमान 2025-26

112. 2025-26 तक, उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ रुपये और 50.65 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं । शुद्ध कर प्राप्तियाँ 28.37 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

113. राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

114. राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.54 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है । शेष वित्तपोषण लघु बचत और अन्य स्रोतों से आने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारी 14.82 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

अब मैं भाग बी पर आऊंगा।

Machine Translated by Google

भाग बी

अप्रत्यक्ष कर

115. सीमा शुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य टैरिफ संरचना को तर्कसंगत बनाना और शुल्क व्युत्क्रमण को संबोधित करना है। ये घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा देंगे, निर्यात को बढ़ावा देंगे, व्यापार को सुविधाजनक बनाएंगे और आम लोगों को राहत प्रदान करेंगे।

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना का युक्तिकरण

116. जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के एक भाग के रूप में, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

(क) सात टैरिफ दरें हटा दी गई हैं। यह सात टैरिफ दरों के अतिरिक्त है
2023-24 के बजट में सभी दरें हटा दी जाएंगी। इसके बाद, 'शून्य' दर सहित केवल आठ टैरिफ दरें शेष रहेंगी।

(ii) कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जहां शुल्क का प्रभाव मामूली रूप से कम हो जाएगा, प्रभावी शुल्क प्रभाव को मोटे तौर पर बनाए रखने के लिए उचित उपकर लागू किया जाएगा।

(iii) एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, मैं 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं जो
एक उपकर के लिए.

117. अब मैं क्षेत्र विशेष से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करूंगा।

औषधियों/औषधियों के आयात पर राहत

118. रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं। मैं 5% की रियायती सीमा शुल्क को आकर्षित करने वाली सूची में 6 जीवन रक्षक दवाओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव करता हूं। उपरोक्त के निर्माण के लिए थोक दवाओं पर भी क्रमशः पूर्ण छूट और रियायती शुल्क लागू होगा।

119. दवा कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रमों के तहत निर्दिष्ट दवाएँ और दवाएँ बी.सी.डी. से पूरी तरह मुक्त हैं, बशर्ते कि ये दवाएँ रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँ। मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ 37 और दवाएँ जोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ।

Machine Translated by Google

घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को समर्थन

महत्वपूर्ण खनिज

120. जुलाई 2024 के बजट में, मैंने 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD को पूरी तरह से छूट दी थी जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। मैंने 2 अन्य ऐसे खनिजों के BCD को भी कम कर दिया था ताकि उनके प्रसंस्करण को विशेष रूप से एमएसएमई द्वारा बढ़ावा दिया जा सके। अब, मैं कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 और महत्वपूर्ण खनिजों को पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इससे भारत में विनिर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने और हमारे युवाओं के लिए अधिक नौकरियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

वस्त्र

121. कृषि-वस्त्र, चिकित्सा वस्त्र और भू-वस्त्र जैसे तकनीकी वस्त्र उत्पादों के घरेलू उत्पादन को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्ण छूट प्राप्त वस्त्र मशीनरी की सूची में शटल-रहित करघे के दो और प्रकार जोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं नौ टैरिफ लाइनों के अंतर्गत आने वाले बुने हुए कपड़ों पर बीसीडी दर को "10% या 20%" से संशोधित करके "20% या ₹ 115 प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

इलेक्ट्रॉनिक सामान

122. हमारी 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुरूप, तथा उलटे शुल्क ढांचे को सुधारने के लिए, मैं इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 20% करने तथा ओपन सेल और अन्य घटकों पर बीसीडी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूं।

123. 2023-24 के बजट में, एलसीडी/एलईडी टीवी के ओपन सेल के निर्माण के लिए, मैंने ओपन सेल के पार्ट्स पर बीसीडी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया था। ऐसे ओपन सेल के निर्माण को और बढ़ावा देने के लिए, इन पार्ट्स पर अब बीसीडी से छूट दी जाएगी।

लिथियम आयन बैटरी

124. छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में, मैं ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को जोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

शिपिंग क्षेत्र

125. यह देखते हुए कि जहाज निर्माण में एक लंबी अवधि लगती है, मैं जहाजों के निर्माण के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोग्य सामग्रियों या भागों पर बीसीडी की छूट को अगले दस वर्षों तक जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। मैं जहाज तोड़ने के लिए भी यही छूट देने का प्रस्ताव करता हूं ताकि इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

Machine Translated by Google

दूरसंचार

126. वर्गीकरण विवादों को रोकने के लिए, मैं कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विचों पर बी.सी.डी. को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि इसे गैर-कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विचों के बराबर बनाया जा सके।

निर्यात संवर्धन

हस्तशिल्प सामान

127. हस्तशिल्प के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, मैं निर्यात की समयावधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसे आवश्यकता पड़ने पर तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है। मैं शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में नौ वस्तुओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

चमड़ा क्षेत्र

128. मैं घरेलू मूल्य संवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए वेट ब्लू लेदर पर बीसीडी से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं छोटे चमड़ा उत्पादकों द्वारा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं।

समुद्री उत्पाद

129. वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, मैं इसके अनुरूप उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) पर बीसीडी को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं मछली और झींगा फ़ीड के विनिर्माण के लिए मछली हाइड्रोलाइज़ेट पर बीसीडी को 15% से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

रेलवे माल के लिए घरेलू एमआरओ

130. जुलाई 2024 के बजट में, विमानों और जहाजों के लिए घरेलू एमआरओ के विकास को बढ़ावा देने के लिए, मैंने मरम्मत के लिए आयात किए जाने वाले विदेशी मूल के सामानों के निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी थी और इसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। अब मैं रेलवे के सामानों के लिए भी यही छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

ट्रेड फ़ैसिलिटेशन

अनंतिम मूल्यांकन के लिए समय सीमा

131. वर्तमान में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, जिससे व्यापार में अनिश्चितता और लागत बढ़ रही है। व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, मैं अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

Machine Translated by Google

स्वैच्छिक अनुपालन

132. मैं एक नया प्रावधान शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे आयातक या निर्यातक, माल की निकासी के बाद, स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्य घोषित कर सकेंगे और ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे, लेकिन जुर्माना नहीं लगेगा। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। हालाँकि, यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ विभाग ने पहले ही ऑडिट या जाँच कार्यवाही शुरू कर दी है।

अंतिम उपयोग के लिए विस्तारित समय

133. उद्योग जगत को अपने आयात की बेहतर योजना बनाने के लिए, मैं संबंधित नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे लागत और आपूर्ति की अनिश्चितता को देखते हुए परिचालन लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा, ऐसे आयातकों को अब मासिक विवरण के बजाय केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा।

प्रत्यक्ष कर

अब मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर आता हूं।

134. भाग ए में, मैंने कराधान सुधारों को हमारे विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रमुख सुधारों में से एक के रूप में संक्षेप में रेखांकित किया है। आपराधिक कानून के संबंध में, हमारी सरकार ने पहले भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की थी। मुझे इस सम्मानित सदन और देश को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नया आयकर विधेयक "न्याय" की उसी भावना को आगे बढ़ाएगा। नया विधेयक पाठ में स्पष्ट और सीधा होगा, जिसमें अध्यायों और शब्दों दोनों के संदर्भ में वर्तमान कानून का लगभग आधा हिस्सा होगा। करदाताओं और कर प्रशासन के लिए इसे समझना आसान होगा, जिससे कर निश्चितता और मुकदमेबाजी में कमी आएगी।

135. हालाँकि, सुधार कोई मंजिल नहीं है। वे हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन प्राप्त करने का एक साधन हैं। सुशासन प्रदान करने में मुख्य रूप से उत्तरदायी होना शामिल है। तिरुक्कुरल ने श्लोक 542 में इसे व्यक्त किया है, जिसमें लिखा है:

जो संसार आकाश में रहता है, वह मन में भी रहता है। वी

दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ वो है जो

कोआला भालू, यार

अर्थ:
जैसे जीव वर्षा की आशा में जीते हैं,

नागरिक अच्छे शासन की उम्मीद में जीते हैं।

Machine Translated by Google

हमारी सरकार जमीनी हकीकत जानने और लोगों की नब्ज पर नजर रखने तथा राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में संतुलन बनाते हुए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। निम्नलिखित उपायों से पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने किस तरह नागरिकों की जरूरतों को समझने और उनका समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं। मेरे कर प्रस्ताव इसी भावना से प्रेरित हैं।

136. मेरे प्रस्ताव के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(मैं) मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार

(ii) कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस/टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना

(iii) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना

(चतुर्थ) अनुपालन बोझ को कम करना

(में) व्यापार करने में आसानी

(vi) रोजगार और निवेश

मैं व्यक्तिगत आयकर पर अपने प्रस्ताव पर अंत में आऊंगा।

कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस/टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना

137. मैं स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके लिए दरों और सीमा की संख्या कम की जाएगी, जिसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती के लिए सीमा राशि बढ़ाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को कम किया जा रहा है।

वर्तमान 50,000 रुपये से दोगुना होकर 1 लाख रुपये हो गया है। इसी प्रकार, 50,000 रुपये की वार्षिक सीमा भी दोगुनी हो गई है।
किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जा रहा है । इससे टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेन-देन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ होगा जो छोटे भुगतान प्राप्त करते हैं।

138. आरबीआई की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विप्रेषण पर स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है । मैं शिक्षा के उद्देश्य से किए जाने वाले विप्रेषण पर टीसीएस हटाने का भी प्रस्ताव करता हूं, जहां ऐसा विप्रेषण किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण से हो।

139. माल की बिक्री से संबंधित किसी भी लेनदेन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लागू किए जा रहे हैं। ऐसी अनुपालन कठिनाइयों को रोकने के लिए, मैं टीसीएस को छोड़ने का प्रस्ताव करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान अब केवल गैर-पैन मामलों में ही लागू होंगे।

Machine Translated by Google

140. जुलाई 2024 में, विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध से मुक्त कर दिया गया। मैं टीसीएस प्रावधानों में भी यही छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना

141. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" में विश्वास करती है। इसी के अनुरूप, हमने 2022 में उन करदाताओं के लिए अपडेटेड रिटर्न की सुविधा शुरू की है, जो अपनी सही आय की जानकारी देने से चूक गए थे। करदाताओं पर हमारा भरोसा सही साबित हुआ। लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करके स्वेच्छा से अपनी आय अपडेट की। इस भरोसे को और आगे बढ़ाते हुए, मैं अब किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को वर्तमान दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अनुपालन बोझ को कम करना

142. मैं छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों/संस्थाओं के लिए उनके पंजीकरण की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करके अनुपालन बोझ को कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह भी प्रस्तावित है कि धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा दायर अधूरे आवेदनों जैसे छोटे-मोटे चूकों के कारण असंगत परिणाम उत्पन्न न हों।

143. वर्तमान में करदाता स्वयं के कब्जे वाली संपत्तियों का वार्षिक मूल्य शून्य के रूप में केवल कुछ शर्तों की पूर्ति पर ही दावा कर सकते हैं। करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी शर्त के दो ऐसी स्वयं के कब्जे वाली संपत्तियों का लाभ देने का प्रस्ताव है।

व्यापार करने में आसानी

144. ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने और वार्षिक जांच का विकल्प प्रदान करने के लिए, मैं तीन साल की ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की आर्म्स लेंथ कीमत निर्धारित करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होगा।

145. मुकदमेबाजी को कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से सुरक्षित बंदरगाह नियमों का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

146. कई वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने राष्ट्रीय बचत योजना खाते हैं। चूंकि ऐसे खातों पर अब ब्याज देय नहीं है, इसलिए मैं 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा एनएसएस से की गई निकासी को छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी समान व्यवहार की अनुमति देने का प्रस्ताव कर रहा हूं, जैसा कि सामान्य एनपीएस खातों के लिए उपलब्ध है, जो समग्र सीमाओं के अधीन है।

Machine Translated by Google

147. जुलाई 2024 में अपने भाषण में मैंने वादा किया था कि अगले दो वर्षों में अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने सहित सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया जाएगा और कागज़ रहित बना दिया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि डिजिटलीकरण को चालू किया जा रहा है।

148. जुलाई 2024 में, हमने अपील में लंबित आयकर विवादों को हल करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की। इस योजना को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लगभग 33,000 करदाताओं ने अपने विवादों को निपटाने के लिए इस योजना का लाभ उठाया है।

रोजगार और निवेश

149. निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मेरे पास कुछ प्रस्ताव हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजनाओं के लिए कर निश्चितता

150. गैर-निवासियों के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था प्रदान करने का प्रस्ताव है जो एक निवासी कंपनी को सेवाएं प्रदान करते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है। मैं आगे गैर-निवासियों के लिए कर निश्चितता के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जो निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों को आपूर्ति के लिए घटकों को संग्रहीत करते हैं।

अंतर्देशीय जहाजों के लिए टन भार कर योजना

151. वर्तमान में टनभार कर योजना केवल समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए उपलब्ध है।
देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना का लाभ भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

स्टार्ट-अप्स के निगमन के लिए विस्तार

152. हम भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम का समर्थन करना जारी रखते हैं। मैं 1.4.2030 से पहले निगमित स्टार्ट-अप को लाभ उपलब्ध कराने के लिए निगमन की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)

153. IFSC में अतिरिक्त गतिविधियों को आकर्षित करने और बढ़ावा देने के लिए, मैं अन्य बातों के साथ-साथ IFSC में स्थापित वैश्विक कंपनियों की जहाज-पट्टा इकाइयों, बीमा कार्यालयों और ट्रेजरी केंद्रों को विशिष्ट लाभ देने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। इसके अलावा, लाभों का दावा करने के लिए, IFSC में आरंभ करने की कट-ऑफ तिथि को भी पाँच वर्ष बढ़ाकर 31.3.2030 कर दिया गया है।

Machine Translated by Google

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)

154. श्रेणी I और श्रेणी II एआईएफ बुनियादी ढांचे और अन्य ऐसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। मैं इन संस्थाओं को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभ पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सॉवरेन और पेंशन फंड के लिए निवेश की तिथि का विस्तार

155. बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स से वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए, मैं निवेश करने की तिथि को पांच वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 करने का प्रस्ताव करता हूं।

मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार

156. लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग, विकसित भारत की दिशा में हमारी यात्रा के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। मध्यम वर्ग भारत के विकास को शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर विश्वास किया है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमने समय-समय पर उनके कर बोझ को कम किया है। 2014 के ठीक बाद, 'शून्य कर' स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया, जिसे 2019 में 5 लाख रुपये और 2023 में 7 लाख रुपये कर दिया गया ।

यह मध्यम वर्ग के करदाताओं पर हमारी सरकार के भरोसे को दर्शाता है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय) तक कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी।

157. सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। नई संरचना से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

158. नई कर व्यवस्था में, मैं कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ:

0-4 लाख रु.	शून्य
4-8 लाख रुपये.	5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपये.	10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपये.	15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपये.	इसे स्वीकार करो
20- 24 लाख रुपये.	25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

Machine Translated by Google

159. 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर) वाले करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अतिरिक्त कर छूट प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें कोई कर देय न हो। विभिन्न आय स्तरों पर स्लैब दर में परिवर्तन और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया जा सकता है। नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपये का लाभ मिलेगा (जो मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 100% है)। 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा (मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 30%)।

25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपये (मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 25%) का लाभ मिलता है ।

160. मेरे कर प्रस्तावों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

161. इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग ₹ 1 लाख करोड़ तथा अप्रत्यक्ष करों में लगभग ₹ 2600 करोड़ का राजस्व छूट जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करता हूँ।

Jai Hind.

Machine Translated by Google

भाग ए के अनुलग्नक

अनुलग्नक-ए

ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण

कार्यक्रम निम्नलिखित पर केन्द्रित होगा:

1) उद्यम विकास, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को उत्प्रेरित करना
ग्रामीण महिलाओं के लिए;

2) युवा किसानों के लिए नए रोजगार और व्यवसाय का सृजन तेज करना
और ग्रामीण युवा;

3) उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि का पोषण और आधुनिकीकरण करना
भंडारण, विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों के लिए; तथा

4) भूमिहीन परिवारों के लिए अवसरों में विविधता लाना।

अनुलग्नक बी

दालों में आत्मनिर्भरता मिशन

मिशन निम्नलिखित पर जोर देगा:

1) जलवायु अनुकूल बीजों का विकास और व्यावसायिक उपलब्धता,

2) प्रोटीन सामग्री को बढ़ाना,

3) उत्पादकता में वृद्धि,

4) फसल-उपरांत भंडारण एवं प्रबंधन में सुधार, और

5) किसानों को लाभकारी मूल्य का आश्वासन।

Machine Translated by Google

अनुलग्नक सी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक

सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1) ग्रामीण सामुदायिक केंद्र सह-स्थान;

2) संस्थागत खाता सेवाएँ;

3) डीबीटी, कैश आउट और ईएमआई पिक-अप;

4) सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सेवाएं;

5) बीमा; और

6) सहायक डिजिटल सेवाएँ।

अनुलग्नक डी

Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

अनुलग्नक ई

विनिर्माण मिशन - "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाना

मिशन के अधिदेश में 5 फोकस क्षेत्र शामिल होंगे:

1) व्यापार करने में आसानी और लागत;

2) मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य में तैयार कार्यबल;

3) एक जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र;

4) प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और

5) गुणवत्ता वाले उत्पाद.

Machine Translated by Google

भाग बी का अनुलग्नक

अप्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन

क. सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन
A.1 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन (i) धारा 18 में एक नई उपधारा (1बी) डाली जा रही है, जो अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा प्रदान करेगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि पर्याप्त कारण बताए जाएं तो सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा इस समय-सीमा को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि लंबित मामलों के लिए समय-सीमा की गणना वित्त विधेयक, 2025 की स्वीकृति की तिथि से की जाएगी। (ii) एक नई उप-धारा (1सी) जोड़ी जा रही है, जिसमें कुछ आधारों का प्रावधान किया गया है, जिनके आधार पर अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने की दो वर्ष की समय-सीमा निलंबित रहेगी। (iii) माल की निकासी के बाद प्रविष्टि में स्वैच्छिक संशोधन के लिए एक नई धारा 18ए डाली जा रही है, ताकि आयातकों और निर्यातकों को निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित शर्तों के अधीन माल के संबंध में की गई किसी भी प्रविष्टि को संशोधित करने की अनुमति मिल सके। इसमें ऐसी संशोधित प्रविष्टि को स्व-मूल्यांकन के रूप में मानने और शुल्क के भुगतान की अनुमति देने या संशोधित प्रविष्टि को धारा 27 के तहत रिफंड दावे के रूप में मानने का भी प्रावधान है। इसमें कुछ ऐसे मामलों के लिए भी प्रावधान है, जहां यह धारा लागू नहीं होगी। (iv) धारा 27 की उप-धारा 1 में एक नया स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18ए के अंतर्गत संशोधित प्रविष्टि या धारा 149 के अंतर्गत संशोधन के परिणामस्वरूप धन वापसी के दावे की सीमा अवधि, शुल्क या ब्याज के भुगतान की तारीख से एक वर्ष होगी। (v) धारा 28 के स्पष्टीकरण 1 में एक नया खंड जोड़ा जा रहा है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि धारा 18ए के अंतर्गत संशोधित प्रविष्टि के अनुसार शुल्क के भुगतान के मामले में प्रासंगिक तारीख ही शुल्क या ब्याज के भुगतान की तारीख है। (vi) अंतरिम बोर्ड, अंतरिम बोर्ड के सदस्य और लंबित आवेदनों को परिभाषित करने के लिए धारा 127ए के खंड (डी) और (ई) के बाद एक नया खंड जोड़ा जा रहा है। (vii) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उपधारा (5) के स्थान पर एक नई उपधारा (6) सम्मिलित की जा रही है। धारा 127बी के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रदान करने के लिए।

Machine Translated by Google

(viii) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127सी की उप-धाराओं को अंतरिम बोर्ड पर लागू करने के लिए धारा 127सी में उप-धारा (11) के बाद एक नई उप-धारा (12) डाली जा रही है।

(ix) अधिनियम, 1955 के उपधारा (2) के पश्चात् एक नई उपधारा (3) सम्मिलित की जा रही है।

धारा 127डी स्पष्ट करती है कि निपटान आयोग की शक्तियों का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे निपटान आयोग पर लागू होते हैं।

(एक्स) धारा 127एफ की उपधारा (4) के बाद एक नई उपधारा (5) डाली जा रही है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि निपटान आयोग की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग या निष्पादन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(xi) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127जी में एक प्रावधान जोड़ा जा रहा है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि सीमा शुल्क आयुक्त की शक्तियां और कार्य
इस धारा के अंतर्गत निपटान आयोग का प्रयोग किया जाएगा
या अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(xii) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उपधारा (3) के स्थान पर एक नई उपधारा (4) सम्मिलित की जा रही है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127एच के तहत निपटान आयोग की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग या निष्पादन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

ये परिवर्तन अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होंगे।
वित्त विधेयक, 2025

A.2 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन

क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची को संशोधित कर निम्नलिखित किया जा रहा है: -

(मैं) कुछ औद्योगिक टैरिफ वस्तुओं पर टैरिफ दरों में संशोधन

(ii) अध्याय 10, 20, 27, 28, 29, 38 और 71 में 178 नई टैरिफ प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी और 63 टैरिफ प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित/हटा दी जाएँगी; अध्याय 10, 20, 29 और 38 में अनुपूरक नोट डाले जाएँगे और 2 अनुपूरक नोट संशोधित किए जाएँगे। यह टैरिफ लाइनों को WCO वर्गीकरण के साथ संरेखित करने और टैरिफ की बेहतर पहचान करने के लिए है।

चीज़ें।

ये परिवर्तन 1.5.2025 से प्रभावी होंगे।

Machine Translated by Google

बी. जीएसटी कानूनों में विधायी परिवर्तन

[अन्यथा प्रावधान को छोड़कर, ये परिवर्तन जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के समन्वय से अधिसूचित की जाने वाली तिथि से प्रभावी होंगे]

व्यापार सुविधा के लिए संशोधन

बी.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 में संशोधन:

क) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) का संदर्भ डालकर, अंतर-राज्यीय आपूर्ति के संबंध में इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करने के लिए खंड (61) में संशोधन किया जा रहा है, जिस पर रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान किया जाना है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

ख) खंड (69) (ग) में संशोधन किया जा रहा है ताकि उक्त खंड के अंतर्गत "स्थानीय प्राधिकरण" की परिभाषा में प्रयुक्त शब्दों 'स्थानीय निधि' और 'नगरपालिका निधि' की परिभाषा के लिए स्पष्टीकरण जोड़ा जा सके, ताकि उक्त शब्दों का दायरा स्पष्ट किया जा सके।

ग) अद्वितीय की परिभाषा प्रदान करने के लिए एक नया खंड (112 ए) जोड़ा जा रहा है
ट्रैक और ट्रेस के कार्यान्वयन के लिए पहचान अंकन
तंत्र

बी.2 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12 और 13 में संशोधन

वाउचर के संबंध में आपूर्ति के समय से संबंधित धारा 12 की उप-धारा (4) और धारा 13 की उप-धारा (4) को हटाया जा रहा है।

बी.3 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 में संशोधन

उप-धारा (5) के खंड (घ) में संशोधन करके 1 जुलाई, 2017 से "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर "संयंत्र और मशीनरी" शब्द प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं।

बी.4 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 में संशोधन

धारा 20(1) और धारा 20(2) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि अंतर-राज्यीय आपूर्ति के संबंध में इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जा सके, जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना है, धारा 20 की उप-धारा (1) में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) का संदर्भ डाला जा सके। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

Machine Translated by Google

बी.5 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 34 में संशोधन

उप-धारा (2) के प्रावधान को संशोधित किया जा रहा है ताकि पंजीकृत प्राप्तकर्ता द्वारा क्रेडिट-नोट के संबंध में संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलटने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से प्रदान किया जा सके, यदि उक्त क्रेडिट के संबंध में आपूर्तिकर्ता की कर देयता को कम करने के उद्देश्य से इसका लाभ उठाया गया हो।

टिप्पणी।

बी.6 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 38 में संशोधन

क) धारा 38(1) में संशोधन करके "स्वतः" पद को हटाया जा रहा है।
उत्पन्न".

ख) धारा 38(2) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त खंड को अधिक समावेशी बनाने के लिए खंड (ख) में "स्वतः उत्पन्न" शब्द को हटाया जा सके तथा "प्राप्तकर्ता द्वारा" शब्दों के पश्चात "सहित" शब्द को जोड़ा जा सके।

धारा 38(2) में भी संशोधन किया जा रहा है ताकि एक नया खंड (सी) जोड़ा जा सके, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण में उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य विवरणों को निर्धारित करने के लिए एक सक्षम खंड प्रदान किया जा सके।

बी.7 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 में संशोधन

रिटर्न दाखिल करने के लिए कुछ शर्तें और प्रतिबंध निर्धारित करने हेतु एक सक्षम खंड प्रदान करने के लिए धारा 39(1) में संशोधन किया जा रहा है।

बी.8. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 107 और 112 में संशोधन

क) धारा 107(6) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि कर की किसी मांग के बिना केवल जुर्माने की मांग वाले मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए जुर्माना राशि का 10% अनिवार्य पूर्व-जमा किया जा सके।

ख) धारा 112(8) में संशोधन किया गया है, ताकि कर की किसी मांग के बिना केवल जुर्माने की मांग वाले मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के लिए जुर्माना राशि का 10% अनिवार्य पूर्व जमा किया जा सके।

बी.9 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की नई धारा 122बी को शामिल किया जाना

धारा 148ए के तहत ट्रैक और ट्रेस तंत्र से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करने हेतु एक नई धारा 122बी जोड़ी जा रही है।

बी.10 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की नई धारा 148ए का सम्मिलन

निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र हेतु सक्षम तंत्र उपलब्ध कराने के लिए धारा 148ए को शामिल किया जा रहा है।

Machine Translated by Google

बी.11 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में संशोधन

अनुसूची III में दिनांक 01.7.2017 से संशोधन किया जा रहा है,-

(क) अनुच्छेद 8 में एक नई प्रविष्टि (एए) सम्मिलित की जाएगी, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्यात हेतु मंजूरी से पूर्व किसी व्यक्ति को विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में रखे गए माल की आपूर्ति या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को आपूर्ति को न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।

(ख) दिनांक 01.07.2017 से स्पष्टीकरण 2 में संशोधन किया जाएगा ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण पैराग्राफ 8 की प्रविष्टि (क) के संबंध में लागू होगा।

(ग) अनुच्छेद 8 में प्रस्तावित प्रविष्टि (एए) के प्रयोजन के लिए 'विशेष आर्थिक क्षेत्र', 'मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र' और 'घरेलू टैरिफ क्षेत्र' शब्दों को परिभाषित करने के लिए स्पष्टीकरण 3 सम्मिलित किया जाएगा।

घ) यह प्रावधान करना कि ऊपर उल्लिखित लेनदेन के लिए पहले से भुगतान किए गए कर की कोई वापसी उपलब्ध नहीं होगी।

सी. वित्त विधेयक में अन्य प्रावधान

सी.1 कुछ मामलों में सेवा कर से छूट के लिए विशेष प्रावधान:

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के अंतर्गत पुनर्बीमा सेवाओं के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमत सेवाओं को 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होकर 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए सेवा कर से छूट दी जा रही है।

D. सीमा शुल्क दर में परिवर्तन

डी.1. इनपुट लागत को कम करने, मूल्य संवर्धन को बढ़ाने, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उलटे शुल्क ढांचे को सही करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने आदि के लिए सीमा शुल्क में कमी [2.2.2025 से प्रभावी]

एस। नहीं।	माल	से (प्रतिशत)	को (प्रतिशत)
I. जलकृषि एवं समुद्री निर्यात			
1.	निर्यात हेतु सुरीमी एनालॉग उत्पादों के निर्माण हेतु जमे हुए मछली पेस्ट (सुरीमी)	30	5

Machine Translated by Google

एस। नहीं।	माल	से (प्रतिशत)	को (प्रतिशत)
2.	जलीय आहार के निर्माण के लिए मछली हाइड्रोलाइज़ेट	15	5
द्वितीय.	रसायन		
1.	संरचना में पिरिमिडीन वलय (चाहे हाइड्रोजनीकृत हो या न हो) या पाइपरज़ीन वलय युक्त अन्य यौगिक, जिन्हें टैरिफ उपशीर्षक 2933 59 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।	10	7.5
2.	सिंथेटिक स्वाद और सुगंधित पदार्थों का मिश्रण, जो खाद्य या पेय उद्योगों में उपयोग किया जाता है, टैरिफ उप के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। शीर्षक 3302 10	100	20
3.	सोरबिटोल को टैरिफ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया उपशीर्षक 3824 60	30	20
III. महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य का अपशिष्ट और स्क्रैप			
1. टैरिफ मद 74040012, 74040019 और 74040019 के अंतर्गत आने वाले एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कैडमियम, मोलिब्डेनम, रेनियम, टैंटालम, टिन, टंगस्टन, जिरकोनियम, कॉपर स्क्रैप का अपशिष्ट और स्क्रैप 74040022	10/5/2.5	शून्य
2. लिथियम-आयन बैटरी का अपशिष्ट और स्क्रैप	5	शून्य
3.	कोबाल्ट पाउडर	5	शून्य
4. सीसे का अपशिष्ट और स्क्रैप		5	शून्य
5. अपशिष्ट और स्क्रैप जिंक		5	शून्य
IV. औषधियाँ और औषधियाँ			
1.	सूची 3 में 6 और औषधियों को शामिल किया गया तथा उनके विनिर्माण के लिए थोक औषधियों को शामिल किया गया	जैसा लागू हो	5

Machine Translated by Google

एस। नहीं।	माल	से (प्रतिशत)	को (प्रतिशत)
2.	सूची 4 में 36 और औषधियों को शामिल किया गया तथा उनके विनिर्माण के लिए थोक औषधियों को शामिल किया गया	जैसा लागू हो	शून्य
3.	37 और दवाइयों को शामिल किया गया मरीजों को मुफ्त आपूर्ति के लिए दवा कंपनियों द्वारा शुल्क मुक्त आयात की सूची में 13 रोगी सहायता कार्यक्रम शामिल हैं	जैसा उपयुक्त	शून्य
वी	कीमती धातु		
1.	प्लैटिनम निष्कर्ष	25	6.4 (5 बीसीडी + 1.4 एआईडीसी)
हम।	कपड़ा, हस्तशिल्प और चमड़ा क्षेत्र		
1.	गीला नीला चमड़ा	10	शून्य
2.	शटल रहित लूम रैपिअर लूम्स (650 मीटर प्रति मिनट से कम) और शटल रहित लूम एयर जेट लूम (प्रति मिनट 1000 मीटर से कम) कपड़ा उद्योग में उपयोग के लिए	7.5	शून्य
3.	हस्तशिल्प के विनिर्माण के लिए वास्तविक निर्यातकों द्वारा शुल्क मुक्त आयात के लिए कुछ अतिरिक्त वस्तुएं	जैसा लागू हो	शून्य
VII. पूंजीगत सामान			
1.	लिथियम-आयन बैटरी के विनिर्माण में उपयोग के लिए अतिरिक्त पूंजीगत सामान/मशीनरी मोबाइल फोन की लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण में उपयोग के लिए ईवी और पूंजीगत सामान/मशीनरी	जैसा उपयुक्त	शून्य
आठवीं.	आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स		
1.	पीसीबीए के इनपुट/भाग और उप-भाग, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर और इनपुट या उपयोग के लिए कच्चा माल	2.5	शून्य

Machine Translated by Google

एस। नहीं।	माल	से (प्रतिशत)	को (प्रतिशत)
	सेलुलर मोबाइल फोन के वायर्ड हेडसेट, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रीडर/सेंसर का निर्माण		
2.	निर्दिष्ट इनपुट/भाग (फिल्म पर चिप, पीसीबीए, ग्लास बोर्ड / सब्सट्रेट सेल) खुले सेल के निर्माण में उपयोग के लिए एलईडी/एलसीडी टीवी के टीवी पैनल	2.5	शून्य
3.	ईथरनेट स्विच कैरियर-ग्रेड	20	10
4.	इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग के लिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, टच ग्लास शीट और टच सेंसर पीसीबी के लिए ओपन सेल (स्पर्श के साथ या बिना)	15/10	5
9.	अंतरिक्ष क्षेत्र		
1.	उपग्रहों के लिए भूमि स्थापना, इसके पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियों सहित	जैसा लागू हो	शून्य
2.	प्रक्षेपण वाहनों के निर्माण और उपग्रहों के प्रक्षेपण में प्रयुक्त सामान	5	शून्य
एक्स।	मोटरसाइकिलें		
1.	(ए) इंजन क्षमता 1600 सीसी (सीबीयू) नहीं से अधिक (ii) सेमी-नॉक्ड डाउन (एस.के.डी.) (iii) पूरी तरह से गिरा दिया गया (सीकेडी)	50 25 15	40 20 10
2	(i) इंजन क्षमता 1600 सीसी और उससे अधिक (सीबीयू) (ii) सेमी-नॉक्ड डाउन (एस.के.डी.) (iii) पूरी तरह से गिरा दिया गया (सीकेडी)	50 25 15	30 20 10

Machine Translated by Google

डी.2. सीमा शुल्क में वृद्धि [02.02.2025 से प्रभावी]

एस। नहीं।	माल	शुल्क की दर	
		से (प्रतिशत)	को (प्रतिशत)
ए।	वस्त्र		
1.	टैरिफ के अंतर्गत आने वाले बुने हुए कपड़े आइटम 6004 10 00, 6004 90 00, 6006 22 00, 6006 31 00, 6006 32 00, 6006 33 00, 6006 34 00, 6006 42 00 और 6006 90 00	10/20	20 या रु. 115 प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो
बी।	इलेक्ट्रानिक्स		
1	टैरिफ आइटम 8528 59 00 (सीबीयू) के अंतर्गत वर्गीकृत इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले	10	20

डी.3. प्रभावी दर में कोई परिवर्तन न करते हुए टैरिफ दर में कमी [02.02.2025 से प्रभावी]

एस। नहीं।	माल	शुल्क की दर	
		से (प्रतिशत)	को (प्रतिशत)
1.	टैरिफ मद 1520 00 00 के अंतर्गत आने वाले ग्लिसरॉल क्रूड, ग्लिसरॉल जल, ग्लिसरॉल लाइ	30	20
2. फॉस्फोरिक एसिड		20	7.5
3. अन्य –	टैरिफ के अंतर्गत आने वाले रासायनिक या संबद्ध उद्योगों के तैयार बाइंडर, रासायनिक उत्पाद और तैयारियां आइटम 3824 99 00	17.5	7.5
4. संगमरमर	और ट्रैवर्टीन, ग्रेनाइट, अपरिष्कृत या मोटे तौर पर छंटाई की गई, केवल ब्लॉक, स्लैब और अन्य में काटी गई (टैरिफ उपशीर्षक 2515 12 और टैरिफ आइटम, 2525 11 00, 2516 11 00, 2516 12 00)	40	20 (+20 एआईडीसी)

Machine Translated by Google

5. टैरिफ शीर्षक 3406 के अंतर्गत आने वाली मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और इसी तरह की अन्य वस्तुएँ	25 (+2.5 एसडब्लूएस)	20 (+7.5 एआईडीसी)
6. अन्य संदर्भ सामग्रियां	30	10
7. पीवीसी फ्लेक्स बैनर और पीवीसी फ्लेक्स शीट सहित पीवीसी फ्लेक्स फिल्में (टैरिफ शीर्षक 3920, 3921)	25 (+2.5 एसडब्लूएस)	20 (+7.5 एआईडीसी)
8. टैरिफ के अंतर्गत आने वाले जूते शीर्षक 6401 से 6405	35 (+3.5 एसडब्लूएस)	20 (+18.5 एआईडीसी)
9. शीर्षक 6802 के अंतर्गत निर्मित स्मारकीय या भवन पत्थर और उसकी वस्तुएं, सिवाय 6802 99 00	40	20
10 मार्बल स्लैब टैरिफ के अंतर्गत वर्गीकृत आइटम 6802 10 00 , 6802 21 10 , 6802 21 20 , 6802 21 90 , 6802 91 00 और 6802 92 00	40	20 (+20 एआईडीसी)
11. ओटीएस/एमआर प्रकार के फ्लैट रोल्ड उत्पाद मोटाई 0.5 मिमी से कम	27.5	15
12. 0.5 मिमी से कम मोटाई की अन्य प्लेटें, शीट, पट्टियां	27.5	15
13. 4.75 मिमी से अधिक या उसके बराबर मोटाई वाले कॉइल में फ्लैट-रोल्ड उत्पाद लेकिन 10 मिमी से अधिक नहीं	22.5	15
14. 3 मिमी से अधिक या उसके बराबर लेकिन 4.75 मिमी से कम मोटाई के कॉइल में फ्लैट-रोल्ड उत्पाद	22.5	15
15. 600 मिमी या उससे अधिक चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद - अन्य निकल क्रोम ऑस्टेनिटिक प्रकार	22.5	15
16. 600 मिमी या उससे अधिक चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद - अन्य शीट और प्लेट	22.5	15
17. अन्य मिश्र धातु इस्पात के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद अनाज उन्मुख	20	15

Machine Translated by Google

18. स्टेनलेस स्टील की अन्य ट्यूब या पाइप फिटिंग	25	15
19. लोहे या स्टील की अन्य फिटिंग, गैर-गैल्वेनाइज्ड	25	15
20. लोहे और इस्पात की अन्य संरचना और संरचना के भाग	25	15
21. अन्य टैंक और ड्रम आदि।	25	15
22. अन्य स्क्रू और बोल्ट नट के साथ	25	15
23. थ्रेडेड नट	25	15
24. अन्य गैर-थ्रेडेड लेख	25	15
25. लोहे/स्टील के अन्य स्प्रिंग और पत्ते	25	15
26. लोहे या स्टील की अन्य ढली हुई वस्तुएं	25	15
27. जाली या मुद्रांकित लेकिन नकली नहीं लेख आगे काम किया	25	15
28. लोहे/इस्पात की अन्य सभी वस्तुएं	25	15
29. टैरिफ शीर्षक 8541 के अंतर्गत आने वाले सौर सेल	25 (+2.5 एसडब्लूएस)	20 (+7.5 एआईडीसी)
30. मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें स्टेशन वैगन और रेसिंग कारें शामिल हैं, टैरिफ शीर्षक 8703>USD 40000 के अंतर्गत	125 (टैरिफ दर) 100 बीसीडी + 10 एसडब्ल्यूएस (प्रभावी दर)	70 (टैरिफ दर) 70+ 40 एआईडीसी (प्रभावी दर)
31. टैरिफ शीर्षक 8703 के अंतर्गत प्रयुक्त मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें स्टेशन वैगन और रेसिंग कारें शामिल हैं	125 (टैरिफ) 125 बीसीडी + 12.5 एसडब्ल्यूएस (प्रभावी दर)	70 (टैरिफ) 70+ 67.5 एआईडीसी (प्रभावी दर)
32. मोटरसाइकिल (मोपेड सहित) और सहायक मोटर लगी साइकिलें,	100 (टैरिफ)	70(टैरिफ)

Machine Translated by Google

	टैरिफ के तहत साइड-कार के साथ या उसके बिना शीर्षक 8711	(प्रभावी दर में कोई परिवर्तन नहीं)	(प्रभावी दर में कोई परिवर्तन नहीं)
33.	टैरिफ शीर्षक 8711 के अंतर्गत साइड-कार के साथ या उसके बिना सहायक मोटर लगी प्रयुक्त मोटरसाइकिलें (मोपेड सहित) और साइकिलें	100 (टैरिफ) 100 बीसीडी +10 एसडब्ल्यूएस (प्रभावी दर)	70 (टैरिफ) 70+ 40 एआईडीसी (प्रभावी दर)
34.	टैरिफ मद 8712 00 10 के अंतर्गत साइकिलें	35	20 (+15 एआईडीसी)
35.	आनंद या खेल के लिए नौकाएं और अन्य जलयान; टैरिफ शीर्षक 8903 के अंतर्गत आने वाली नौकायन नौकाएं और डोंगियां	25 (+2.5 एसडब्लूएस)	20 (+7.5 एआईडीसी)
36	टैरिफ मद 9028 30 10 के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा हेतु विद्युत मीटर (स्मार्ट मीटर)	25 (+2.5 एसडब्लूएस)	20 (+7.5 एआईडीसी)
37	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे, टैरिफ मद 9503 00 91 के अंतर्गत विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने	25 बीसीडी + 2.5 एसडब्ल्यूएस	20 बीसीडी+ 7.5 एआईडीसी

डी.4. प्रभावी दर में कमी के साथ टैरिफ दर में कमी [02.02.2025 से प्रभावी]

		शुल्क की दर	
	माल	से (प्रतिशत)	को (प्रतिशत)
1.	भोजन और पेय पदार्थों में उपयोग के लिए सिंथेटिक स्वाद और गंधयुक्त पदार्थों का मिश्रण पेय उद्योग	100	20 (+2 एसडब्ल्यूएस)
2.	टैरिफ उप-के तहत सोरबिटोल शीर्षक 3824 60	30 (+3 एसडब्ल्यूएस)	20 (+2 एसडब्ल्यूएस)

Machine Translated by Google

	माल	शुल्क की दर	
		से (प्रतिशत)	को (प्रतिशत)
3.	टैरिफ शीर्षक 7113 के अंतर्गत आभूषण की वस्तुएं और उनके हिस्से; टैरिफ शीर्षक 7113 के अंतर्गत स्वर्णकार या रजतकार के सामान की वस्तुएं और उनके हिस्से 7114	25	20
4.	टैरिफ के तहत सौर मॉड्यूल शीर्षक 8541	40 (+4 एसडब्ल्यूएस)	20 (+20 एआईडीसी)
5.	टैरिफ शीर्षक 8702 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन (यात्री के लिए)	40 (+4 एसडब्ल्यूएस)	20 (+20 एआईडीसी)
6.	टैरिफ शीर्षक 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन (माल के लिए)	40 (+4 एसडब्ल्यूएस)	20 (+20 एआईडीसी)
7.	सीटें (शीर्षक 9402 के अलावा), चाहे बिस्तर में परिवर्तनीय हों या नहीं, और उनके हिस्से, टैरिफ शीर्षक 9401 के अंतर्गत आते हैं	25 (+2.5 एसडब्ल्यूएस)	20 (+5 एआईडीसी)
8.	टैरिफ के अंतर्गत आने वाले अन्य फर्नीचर और उसके हिस्से शीर्षक 9403	25 (+2.5 एसडब्ल्यूएस)	20 (+5 एआईडीसी)
9.	टैरिफ शीर्षक 9405 के अंतर्गत आने वाले गद्दे के सहारे, बिस्तर के सामान और इसी तरह के फर्निशिंग आदि	25 (+2.5 एसडब्ल्यूएस)	20 (+5 एआईडीसी)
10.	सर्चलाइट और स्पॉटलाइट सहित प्रकाश उपकरण और प्रकाश फिटिंग और उनके भाग वगैरह	25 (+2.5 एसडब्ल्यूएस)	20 (+5 एआईडीसी)
11.	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे, टैरिफ मद 9503 00 91 के अंतर्गत	70	20 (+20 एआईडीसी)

Machine Translated by Google

	माल	शुल्क की दर	
		से (प्रतिशत)	को (प्रतिशत)
12.	टैरिफ मद 9802 00 00 के अंतर्गत प्रयोगशाला रसायन (निर्दिष्ट अंतिम उपयोग पर 10% बीसीडी आकर्षित करने वाले रसायनों को छोड़कर)	150 (+ 15 एसडब्लूएस)	70 (+ 70 एआईडीसी)
13.	टैरिफ शीर्षक 9803 के अंतर्गत यात्री या चालक दल के सदस्य द्वारा अपने सामान में आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुएं	100 (टैरिफ दर) 35+ 3.5 एसडब्ल्यूएस (प्रभावी दर)	70 (टैरिफ दर) 35 (प्रभावी दर)
14.	व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित शुल्क योग्य माल, जो 10% बीसीडी के अलावा शीर्ष 9804 के अंतर्गत वर्गीकृत है	35 (+ 3.5 एसडब्लूएस)	20

और। चमड़े पर निर्यात शुल्क [2.2.2025 से प्रभावी]

एस। नहीं।	माल	शुल्क की दर	
		से (प्रतिशत)	को (प्रतिशत)
1	क्रस्ट लेदर (चमड़ा और खाल)	20	0

एफ. व्यापार सुविधा उपाय

एफ.1. हस्तशिल्प के निर्यात की अवधि में वृद्धि

वास्तविक निर्यातकों द्वारा शुल्क मुक्त इनपुट से निर्मित हस्तशिल्प के निर्यात की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष किया जा रहा है, जिसे आगे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

एफ.2. प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के विनिर्माण में उपयोग के लिए बीजों के आयात के लिए सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियम 2022 (आईजीसीआर) की शर्त को हटाना

कच्चे प्रयोगशाला में विकसित हीरे के विनिर्माण में उपयोग के लिए बीजों के आयात पर सीमा शुल्क छूट के लिए आईजीसीआर की शर्त को हटाया जा रहा है।

एफ.3. निर्यात के लिए समय सीमा का विस्तार

Machine Translated by Google

मरम्मत के लिए आयातित विदेशी मूल के माल के निर्यात की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की जा रही है, जिसे रेलवे माल के लिए एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।
एफ.4. सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर या निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियम, 2022 में संशोधन
अंतिम उपयोग को पूरा करने की समय-सीमा को वर्तमान छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने तथा मासिक विवरण के स्थान पर केवल त्रैमासिक विवरण दाखिल करने के लिए नियम 6 और 7 में संशोधन किया जा रहा है।

नोट: एआईडीसी - कृषि अवसंरचना और विकास उपकर; एसडब्ल्यूएस - सामाजिक कल्याण अधिभार

जी. अन्य

कुछ अन्य छोटे-मोटे परिवर्तन भी हैं। बजट प्रस्तावों के विवरण के लिए, व्याख्यात्मक ज्ञापन और अन्य प्रासंगिक बजट दस्तावेजों का संदर्भ लिया जा सकता है।

Machine Translated by Google

भाग बी का अनुलग्नक

प्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन

(i) मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार

1. नई कर व्यवस्था के तहत नए स्लैब के साथ पर्याप्त राहत का प्रस्ताव है
और कर की दरें निम्नानुसार हैं: -

कुल आय	कर की दर
` 4,00,000 तक	शून्य
` 4,00,001 से ` 8,00,000 तक	5 प्रतिशत
` 8,00,001 से ` 12,00,000 तक	10 प्रतिशत
` 12,00,001 से ` 16,00,000 तक	15 प्रतिशत
` 16,00,001 से ` 20,00,000 तक	इसे स्वीकार करो
` 20,00,001 से ` 24,00,000 तक	25 प्रतिशत
` 24,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

2. आयकर पर छूट

- 7,00,000 रुपये तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।

  नई कर व्यवस्था के तहत कर में छूट का प्रस्ताव है।

  नई व्यवस्था के तहत निवासी व्यक्ति के लिए छूट में वृद्धि

  ताकि यदि उनकी कुल आय 12,00,000 रुपये तक है तो उन्हें कर का भुगतान न करना पड़े ।

  नई कर व्यवस्था के तहत पहले दी गई सीमांत राहत भी लागू है।

  12,00,000 रुपये से मामूली अधिक आय पर लागू ।

- कर लाभ की गणना के लिए कुछ उदाहरण तालिका में दिए गए हैं

  नीचे:

Machine Translated by Google

आय	पर कर स्लैब और दरें		फ़ायदा का	छूट लाभ	कुल फ़ायदा	छूट के बाद कर फ़ायदा
	वर्तमान प्रस्तावित		दर /स्लैब	पूर्ण 12 लाख रुपये तक		
8 लाख	30,000	20,000	10,000	20,000	30,000	0
9 लाख	40,000 30,000	40,000	10,000	30,000	40,000	0
10 लाख	50,000		10,000	40,000	50,000	0
11 लाख	65,000	50,000	15,000	50,000	65,000	0
12 लाख	80,000	60,000	20,000	60,000	80,000	0
16 लाख 1,70,000	1,20,000	50,000	20 लाख 2,90,000	2,00,000	0	50,000 1,20,000
90,000 24 लाख	4,10,000	3,00,000	1,10,000		0	90,000 2,00,000
					0	1,10,000 3,00,000
50 लाख 11,90,000	10,80,000	1,10,000			0	1,10,000 10,80,000

(ii) कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस/टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना

1. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) दरों का युक्तिकरण:

• दरों की बहुलता और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, कुछ वर्गों में टीडीएस और टीसीएस दरों को नीचे दिए अनुसार कम करने का प्रस्ताव है:

अधिनियम की धारा सं.		उपस्थित टीडीएस/टीसीएस दर	प्रस्तावित टीडीएस/टीसीएस दर
1. धारा 194एलबीसी - आय	प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश का सम्मान	25% यदि भुगतानकर्ता है व्यक्ति या एचयूएफ और अन्यथा 30%	10%
2. धारा 206सी की उपधारा (1) (i) वन पट्टे के तहत प्राप्त लकड़ी या किसी अन्य वन उपज (तेंदू पत्ते को छोड़कर) पर टीसीएस और (ii) वन पट्टे के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त लकड़ी पर टीसीएस		2.5%	2%
3. धारा 144 की उपधारा (1जी) 206सी – धन प्रेषण पर टीसीएस	शिक्षा के उद्देश्य से एलआरएस के तहत, वित्तीय संस्थान से ऋण द्वारा वित्तपोषित	7 लाख रुपये के बाद 0.5%	शून्य

Machine Translated by Google

• कुछ धाराओं के तहत स्रोत पर कर काटने या स्रोत पर कर एकत्र करने की आवश्यकता के लिए कुछ सीमाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

नीचे के अनुसार:

क्र.सं.	अधिनियम की धारा	वर्तमान टीडीएस /टीसीएस सीमा (रु.)	प्रस्तावित टीडीएस /टीसीएस सीमा (रु.)
1.	193 - ब्याज प्रतिभूति	शून्य	10,000/-
2.	194ए - ब्याज अन्य बजाय दिलचस्पी पर प्रतिभूति	(i) वरिष्ठ नागरिक के लिए 50,000/- (ii) अन्य के मामले में 40,000/- जब भुगतानकर्ता बैंक, सहकारी समिति और डाकघर हो (iii) 5,000/- अन्य में मामलों	(i) वरिष्ठ के लिए 1,00,000/- नागरिक (ii) 50,000/- के मामले में अन्य जब भुगतानकर्ता बैंक, सहकारी समिति और डाकघर हो (iii) अन्य मामलों में 10,000/-
3.	194 – लाभांश, एक व्यक्ति के लिए शेयरधारक	5,000/-	10,000/-
4.	194K - आय म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में या निर्दिष्ट कंपनी या उपक्रम	5,000/-	10,000/-
5.	194B - लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली से जीत वगैरह।	कुल राशि 10,000/- से अधिक वित्तीय वर्ष के दौरान	एकल लेनदेन के संबंध में 10,000/-
6.	194BB - घुड़दौड़ से जीत		
7.	194डी - बीमा आयोग	15,000/-	20,000/-
8.	194G - आय लॉटरी टिकट पर कमीशन, पुरस्कार आदि का तरीका	15,000/-	20,000/-
9.	194H - आयोग या दलाली	15,000/-	20,000/-
10.	194-आई किराया	वित्तीय वर्ष के दौरान 2,40,000/-	50,000/- प्रति माह या आंशिक एक महीने का

Machine Translated by Google

11।	194J - शुल्क या पेशेवर तकनीकी सेवाएँ	30,000/-	50,000/-
12.	194LA - बढ़े हुए मुआवजे के माध्यम से आय	2,50,000/-	5,00,000/-
13.	206सी(1जी) – के अंतर्गत धन प्रेषण एलआरएस और विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेट	7,00,000/-	10,00,000/-

(iii) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना

1. अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाना:

• प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के अंत से अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को मौजूदा 24 महीनों से बढ़ाकर 48 महीने करने का प्रस्ताव है। देय अतिरिक्त कर प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के अंत से 24 महीनों से 36 महीनों की अवधि के दौरान अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त आय पर देय कर और ब्याज के योग का 60% होगा। देय अतिरिक्त कर प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के अंत से 36 महीनों से 48 महीनों की अवधि के दौरान अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए देय कर और ब्याज के योग का 70% होगा, जो कुछ शर्तों के अधीन होगा।

2. क्रिप्टो-परिसंपत्ति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने का दायित्व:

• अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि
क्रिप्टो-परिसंपत्ति के संबंध में निर्धारित रिपोर्टिंग इकाई प्रस्तुत करेगी
ऐसी क्रिप्टो परिसंपत्ति में लेनदेन के संबंध में जानकारी,
कथन को निर्धारित अनुसार लागू किया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तावित है कि परिभाषा को संरेखित किया जाए
तदनुसार आभासी डिजिटल परिसंपत्ति।

3. स्व-अधिभोग संपत्ति का सरलीकृत वार्षिक मूल्य:

• यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि संपत्ति का वार्षिक मूल्य
किसी घर या उसके किसी भाग से मिलकर बनी संपत्ति को शून्य माना जाएगा, यदि
मालिक इसे अपने निवास के रूप में उपयोग करता है या वास्तव में इसे उपयोग नहीं कर सकता है
किसी भी कारण से.

(iv) अनुपालन बोझ को कम करना

Machine Translated by Google

1. निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर टीसीएस को समाप्त करने से अनुपालन बोझ में कमी:

• करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य के निर्दिष्ट माल की बिक्री पर स्रोत पर कोई कर एकत्र नहीं किया जाएगा।

2. आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए उच्च टीडीएस/टीसीएस हटाना:

• कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए अधिनियम की धारा 206एबी और धारा 206सीसीए को हटाने का प्रस्ताव है।

3. "वन उपज" की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया गया:

• अधिनियम की धारा 206सी(1) के तहत "वन उपज" का अर्थ स्पष्ट करने का प्रस्ताव है ताकि इसकी परिभाषा के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके। • यह भी प्रस्ताव है कि टीसीएस केवल "किसी अन्य वन" पर ही एकत्र किया जाए।

वन पट्टे के तहत प्राप्त उपज।

(v) व्यापार करने में आसानी

1. स्टार्टअप्स के लिए धारा 80-आईएसी के तहत समय सीमा का विस्तार:

• स्टार्टअप्स को धारा 80-आईएसी के तहत प्रदान किए गए लाभ को पांच साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है, अर्थात यह लाभ 01.04.2030 से पहले निगमित पात्र स्टार्टअप्स को उपलब्ध होगा।

2. अनिवासी द्वारा प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की दरों में समानता :

• विदेशी संस्थागत निवेशक होने के नाते निवासियों और गैर-निवासियों के बीच पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ के कराधान में समानता लाने का प्रस्ताव है, जो प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से उनकी आय पर लागू होगा।

3. धर्मार्थ ट्रस्टों/संस्थाओं के लिए कर प्रावधानों का सरलीकरण:

• छोटे ट्रस्टों या संस्थाओं के लिए ट्रस्ट या संस्था के पंजीकरण की वैधता अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

संस्थाएं।

Machine Translated by Google

• ट्रस्ट या संस्था के पंजीकरण को रद्द करने के लिए निर्दिष्ट उल्लंघन की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है, ताकि अपूर्ण आवेदनों जैसे छोटे चूक के लिए इसे लागू न किया जा सके।

• इसमें ऐसे व्यक्तियों की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है, जो किसी ट्रस्ट या संस्था को पर्याप्त योगदान देने से इनकार करना छूट।

4. व्यावसायिक ट्रस्टों के कराधान में युक्तिकरण:

• यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि किसी व्यवसायिक ट्रस्ट की कुल आय, जिस पर अधिकतम सीमांत दर पर कर लगाया जाता है, अधिनियम की धारा 112ए के प्रावधानों के अधीन होगी, क्योंकि वह अधिनियम की धारा 111ए और धारा 112 के प्रावधानों के अधीन है।

5. व्यावसायिक संबंध के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति की प्रयोज्यता का सामंजस्य:

• यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि गैर-भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसे लेन-देन या गतिविधियां शामिल नहीं होंगी भारत में वस्तुओं की खरीद तक ही सीमित हैं। निर्यात करना।

6. यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी के मोचन पर आय में स्पष्टता लाना:

• यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसियों के मोचन से प्राप्त लाभ और प्राप्ति, जिन पर धारा 10(10डी) के अंतर्गत छूट लागू नहीं होती है, पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा।

7. 'पूंजीगत परिसंपत्ति' की परिभाषा में संशोधन:

• अधिनियम की धारा 115यूबी में निर्दिष्ट निवेश निधि द्वारा धारित प्रतिभूतियों के रूप में पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली आय की प्रभार्यता पर स्पष्टता लाने के लिए, पूंजीगत परिसंपत्ति की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

8. बहु-वर्षीय आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण प्रावधानों का युक्तिकरण

• यह प्रस्ताव किया गया है कि समान लेनदेन के संबंध में अनुमानित मूल्य निर्धारण हेतु स्थानांतरण मूल्य निर्धारण प्रावधान अब 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे।

Machine Translated by Google

9. टीसीएस के विलंबित भुगतान के लिए अभियोजन से छूट:

- ऐसे व्यक्ति को अभियोजन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है जो स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) का भुगतान केंद्र सरकार के खाते में करने में विफल रहा है, यदि ऐसा भुगतान तिमाही टीसीएस विवरण दाखिल करने के लिए निर्धारित समय पर या उससे पहले किसी भी समय किया जाता है।

10. 'पूंजीगत परिसंपत्ति' की परिभाषा में संशोधन:

- अधिनियम की धारा 115यूबी में निर्दिष्ट निवेश निधि द्वारा धारित प्रतिभूतियों के रूप में पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली आय की प्रभार्यता पर स्पष्टता लाने के लिए, पूंजीगत परिसंपत्ति की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(vi) रोजगार और निवेश

1. आईएफएससी को प्रोत्साहन

- यह प्रस्ताव है कि विभिन्न धाराओं में छूट, कटौती और स्थानांतरण के लिए आईएफएससी इकाइयों से संबंधित सूर्यास्त तिथियों को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया जाएगा।

- आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय द्वारा जारी जीवन बीमा पॉलिसी पर प्राप्त राशि को अधिकतम प्रीमियम राशि की शर्त के बिना छूट देने का प्रस्ताव है।

- जहाज पट्टे पर देने वाली घरेलू कंपनी के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण पर अनिवासी या आईएफएससी की एक इकाई के लिए पूंजीगत लाभ के लिए धारा 10(4एच) में छूट का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

- आईएफएससी में जहाज पट्टे पर देने वाली कंपनी द्वारा जहाज पट्टे पर देने में लगी आईएफएससी की इकाई को भुगतान किए गए लाभांश के लिए धारा 10(34बी) में छूट का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

- यह प्रस्तावित है कि दो समूह संस्थाओं के बीच कोई भी अग्रिम या ऋण, जहां समूह संस्थाओं में से एक को ट्रेजरी गतिविधियों या ट्रेजरी सेवाओं के लिए IFSC में स्थापित किया गया है, को इससे बाहर रखा जाएगा।

  लाभांश.

- आईएफएससी में स्थित फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित निवेश निधियों के लिए सरलीकृत सुरक्षित बंदरगाह व्यवस्था प्रदान करने का प्रस्ताव है। आईएफएससी इकाइयों के लिए शर्तों में छूट को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

- गैर-निवासी के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी को प्राप्त होने वाली या उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी आय को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।

Machine Translated by Google

किसी भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के साथ किए गए वितरण योग्य अग्रिम अनुबंध, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई है, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

• यह प्रस्तावित है कि किसी शेयरधारक द्वारा मूल निधि (आईएफएससीए विनियम 2022 के तहत विनियमित एक खुदरा योजना या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में रखे गए शेयर या यूनिट या ब्याज का हस्तांतरण, स्थानांतरण में परिणामी फंड में शेयर या यूनिट या ब्याज के बदले में, पूंजीगत लाभ की गणना के उद्देश्य से हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा निवेश करने की तिथि का विस्तार, पेंशन फंड और अन्य:

• यह प्रस्ताव है कि धारा 10(23एफई) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में निवेश करने की तिथि 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 कर दी जाएगी।

• यह भी प्रस्तावित है कि ऐसे निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में उक्त धारा के अंतर्गत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट उपलब्ध होगी, भले ही ऐसे पूंजीगत लाभ को धारा 50एए के अंतर्गत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता हो।

3. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले अनिवासी व्यक्तियों के लिए प्रकल्पित कराधान की योजना का विस्तार:

• भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा या संबद्ध सुविधा की स्थापना या संचालन के व्यवसाय में लगे गैर-निवासियों के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था प्रदान करने का प्रस्ताव है।

4. अंतर्देशीय जहाजों तक टनभार कर योजना का विस्तार:

• यह प्रस्ताव है कि देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों को मौजूदा टन भार कर योजना का लाभ दिया जाए।

5. एनपीएस वात्सल्य में किए गए योगदान के लिए धारा 80सीसीडी के तहत कटौती:

• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी की उपधारा (1बी) के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए उपलब्ध कर लाभों को एनपीएस वात्सल्य खातों में किए गए अंशदान पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।

Machine Translated by Google

(vii) अन्य विविध संशोधन

1. राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से निकासी से छूट:

• राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद की गई निकासी पर योजना के तहत जमा की गई किसी भी राशि और उस पर अर्जित ब्याज, जिसके संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है, से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।

2. भत्तों की गणना के प्रयोजनार्थ कर्मचारियों की आय की सीमा में वृद्धि:

• धारा 17 के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि इन सीमाओं को बढ़ाने के लिए नियम निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त की जा सके।

3. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) के निर्दिष्ट उपक्रम को छूट का विस्तार

• यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 द्वारा बनाई गई एसयूयूटीआई की छूट को 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

4. अधिनियम की धारा 271एएबी की गैर-प्रयोज्यता:

• यह प्रस्तावित है कि उपर्युक्त धारा के प्रावधान उस मामले पर लागू नहीं होंगे जहां धारा 132 के तहत 1 सितंबर, 2024 को या उसके बाद तलाशी शुरू की गई हो।

5. मूल्यांकन अधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले कुछ दंड:

• जुर्माने से संबंधित विभिन्न धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इन धाराओं के अंतर्गत जुर्माना आकलन अधिकारी द्वारा लगाया जाएगा, जो संयुक्त आयकर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा।

6. कुछ मामलों में योजनाएं तैयार करने पर तिथि संबंधी प्रतिबंध हटाना:

• यह प्रस्तावित है कि फेसलेस अधिसूचना के लिए निर्धारित अंतिम तिथि

कुछ धाराओं के तहत योजनाओं को छोड़ा जा सकता है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि

Machine Translated by Google

केंद्र सरकार अंतिम तिथि के बाद भी निर्देश जारी कर सकती है।

31 मार्च, 2025.

7. उन्मुक्ति की मांग करने वाले आवेदन की प्रसंस्करण अवधि का विस्तार

दंड और अभियोजन:

- यह प्रस्तावित है कि मूल्यांकन अधिकारी एक आदेश पारित करेगा जिसमें उसे स्वीकार किया जाएगा या

  दंड से उन्मुक्ति का अनुरोध करने वाले आवेदन को अस्वीकार करना और

  अवधि समाप्त होने के तीन महीने के भीतर अभियोजन चलाया जाएगा।

  वह माह जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ हो।

8. धारा 115वीपी के तहत आदेश पारित करने के लिए उपलब्ध समय सीमा में वृद्धि:

- धारा 115वीपी में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि,

  टन भार कर को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, करदाता का टन भार कर चुनने का विकल्प

  योजना को तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पारित किया जाएगा।

  उस तिमाही के अंत तक जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था।

9. समय सीमा की गणना के लिए न्यायालय द्वारा रोक आदि की अवधि को छोड़कर

आदेश पारित करें:

- कुछ निश्चित समयावधि जैसे ठहरने की अवधि को बाहर रखने का प्रस्ताव है

  किसी भी न्यायालय के आदेश आदि की कार्यवाही पर समय सीमा बीतने से

  किसी व्यक्ति को कर के संबंध में चूककर्ता करदाता मानने का आदेश

  टीसीएस एकत्र करने में विफलता का मामला।

10. दंड लगाने की समय-सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया:

- यह प्रस्तावित है कि जुर्माना लगाने वाला कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा

  तिमाही के अंत से छह महीने की समाप्ति के बाद

  संबंधित कार्यवाही पूरी हो जाती है, या अपील का आदेश दिया जाता है

  प्राप्त हुआ।

Machine Translated by Google

11. आवेदन की प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि के संबंध में स्पष्टीकरण

न्यायालय द्वारा रोकी गई अवधि:

- अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करके इसे स्पष्ट करने का प्रस्ताव है।

  प्रारंभ तिथि और रोकी गई अवधि की समाप्ति तिथि

  किसी भी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा।

12. जब्त लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को रखने की समय सीमा

युक्तिसंगत:

- इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जब्त की गई खाता बहियों या अन्य दस्तावेजों को जब्ती की तिथि से एक महीने तक रखा जाएगा।

  उस तिमाही का अंत जिसमें मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना आदेश दिया गया है।

13. घाटे को आगे ले जाने से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना

समामेलन का

- अधिनियम की धारा 72ए और धारा 72एए में संशोधन करने का प्रस्ताव है

  बशर्ते कि कोई भी हानि संचित हानि का हिस्सा हो

  पूर्ववर्ती इकाई को अधिकतम आठ वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

  कर निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद आने वाले कर निर्धारण वर्ष

  ऐसी हानि की गणना सबसे पहले मूल पूर्ववर्ती इकाई के लिए की गई थी।

14. अध्याय XIV-बी के तहत तलाशी और अधिग्रहण मामलों के लिए ब्लॉक मूल्यांकन के प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित

- उक्त में "वर्चुअल डिजिटल एसेट" शब्द जोड़ने का प्रस्ताव है

  ब्लॉक अवधि की अघोषित आय की परिभाषा। ब्लॉक मूल्यांकन पूरा करने की समय-सीमा उस तिमाही के अंत से बारह महीने करने का प्रस्ताव है जिसमें खोज या अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया है।